न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 86/2016

रज्जु दिनांक : 01/08/2016

निर्णय दिनांक : 30-11-16

रामदेव पुत्र रामचन्द्रनाथ, जाति जोगी, निवासी गुढासहायपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र दुरूस्ती इन्द्राज

(अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – ***श्री सुरेन्द्र शर्मा***
श्री मोहित कुमार सैन
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 30-11-16

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के आराजी खाता संख्या 81 के आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 0.9900 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 42 रकबा 1.4100 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 2.4000 हैक्टेयर आराजी वाके ग्राम गुढासहायपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका प्रार्थी हिस्सा 1/6 का काबिज काश्त एंव खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 24 व 27 वाके ग्राम गुढासहायपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 रहे हैं। प्रार्थी की सही एवं वास्तविक जाति जोगी है, जो साबिक रिकार्ड में प्रार्थी की जाति जोगी ही दर्ज है, वरवक्त पर्चा सम्वत 2011 में भी वादी के पूर्वजों के नाम से पर्चा जारी किया

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

गया, जिसमें भी जाति जोगी ही दर्ज है, जो सम्वत 2011 से लेकर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2048 से 2051 तक यही दर्ज चलती रही, जो सही जाति जोगी दर्ज थी, लेकिन इसके पश्चात की जो जमाबन्दियां बनायी गयी, उसमें सहवन से राजस्व कारकुनानों की भूलवश लेखनीय अशुद्धि से जाति जोगी के स्थान पर जाति जाट दर्ज कर दी गयी हो, जो कि गलत दर्ज किया गया। इसके पश्चात वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में भी जाति जोगी के स्थान पर जाट दर्ज चली आ रही हैं। इस प्रकार उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के वर्णन से यह साबित होता है कि प्रार्थी की सही एवं वास्तविक जाति जोगी ही है, लेकिन उक्त हाल जमाबन्दी में मात्र राजस्व कारकुनानों द्वारा भूलवश जाति जोगी के स्थान पर जाट दर्ज कर दिया गया है, जो कि काबिले दुरूस्ती है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात में भी जाति जोगी ही दर्ज है, जिससे भी साबित है कि प्रार्थी की सही एवं वास्तविक जाति जोगी है, जो जाति जाट का इन्द्राज किया गया है, वह मात्र राजस्व कारकुनानों के द्वारा भूलवश किया गया है, जो काबिले दुस्ती हैं। वादी ने अभी हाल ही में किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु दिनांक 31/05/2016 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, जिस पर वादी ने पटवार हल्का से नकल प्राप्त कर पटवारी हल्का से उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने उक्त इन्द्राज दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया, तब तहसीलदार महोदय को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने माननीय न्यायालय में चाराजोंही कर इन्द्राज को दुरूस्त करवाने की सलाह दी, इसलिये प्रार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजीयात वर्णित प्रार्थना–पत्र का पैरा संख्या 1 में दर्ज चालू राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी की जाति जाट को

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

हजफ किया जाकर जाति जोगी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।''

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गयी। दिनांक 20/09/2016 को अप्रार्थी को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थी /पैरोकार ने उपस्थित होकर जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुयी। वकील प्रार्थी शहादत पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 81, नकल मिलान क्षैत्रफल किता–1, पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 से 2029, नकल जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047, नकल जमाबन्दी सम्वत 2048 से 2051 खाता संख्या 45, भू प्रबन्ध विभाग अवधि बन्दोबस्त सम्वत 28 अक्टुम्बर 2002 से 27 अक्टुम्बर 2022 तथा तहसीलदार दूदू द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के अवलोकन से खाता संख्या 81 में वादी खातेदार रामदेव पुत्र रामचन्द्र 1/6 जाति जाट सा0 बागेत दर्ज है, जबकि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर अपनी जाति जोगी दर्ज होना अंकित किया है तथा इसी अनुसार जाति जाट के स्थान पर जाति जोगी दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश किया हैं। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 41, 42 कुल किता 02 कुल रकबा 1.4100 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 24 व 27 का पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 में खातेदार नानगनाथ पुत्र गोपालनाथ कौम जोगी सा0 देह दर्ज है, तत्पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047 के खाता संख्या 111 में भी जाति जोगी ही दर्ज है, लेकिन जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में प्रार्थी की जाति जोगी के स्थान पर जाति जाट दर्ज कर दी गयी है, तहसीलदार दूदू ने भी अपने जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि ''अतः जमाबन्दी सम्वत 2048 लगायत 2051 के खाता संख्या 45 में दर्ज प्रविष्टि रामदेव, भोलू पि. रामचन्द्र हि. 1/3 कौम जोगी सा0 देह के स्थान पर सैटलमेन्ट द्वारा नामा0 स0 288 अमल करने पर रामदेव पुत्र रामचन्द्र हि. 1/6 कौम जोगी सा0 देह व कानाराम पुत्र हरनाथ हि. 1/6 कौम जाट सा0 बागेत सही प्रविष्टि होनी थी, जिसके स्थान पर रामदेव पुत्र रामचन्द्र हि. 1/6, कानाराम पुत्र हरनाथ 1/6 जाट सा0 बागेत का गलत अंकन कर दिया हैं। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 81 में कानाराम पुत्र हरनाथ हि. 1/6 राहिन एस.बी.बी.जे. दूदू

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

मूर्तहीन रामदेव पुत्र रामचन्द्र 1/6 जाति जाट सा0 बागेत दर्ज चली आ रही हैं। इसलिये वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में खातेदार कानाराम पुत्र हरनाथ हि. 1/6 राहिन एस.बी.बी.जे. दूदू जाति जाट सा0 बागेत को छोडकर शेष खातेदारान की जाति जोगी सा0 देह दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नही हैं।" इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन उपरान्त यह पाया जाता है कि प्रार्थी की सही जाति जोगी है लेकिन सहवन से हाल जमाबन्दी में जाति जोगी के स्थान पर जाति जाट दर्ज होना पाया जाता है, तहसीलदार दूदू ने भी प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुये उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने की अनुशंषा की हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर एवं तहसीलदार दूदू की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 81 के आराजी खसरा नम्बर 41 व 42 कुल किता 02 कुल रकबा 2.4000 हैक्टेयर आराजी वाके ग्राम गुढासहायपुरा, तहसील मौजमाबाद में दर्ज खातेदार रामदेव पुत्र रामचन्द्रनाथ की जाति जाट को हजफ किया जाकर जाति जोगी दर्ज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30-11-16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
(दूदू-जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned with CamScanner